पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–47 / 2015गृ0आ0..................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय :– **राज्य के विभिन्न काराओं के लिए 25 अदद कैदी वाहन के कुल लागत ₹ 5,00,00,000 (पाँच करोड़ रू0) मात्र पर क्रय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–410 / आपूर्ति, दिनांक 13.04.2016 के आलोक में गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक–2118, दिनांक 16.03.2016 द्वारा राज्य के विभिन्न काराओं के लिए 25 अदद कैदी वाहन का क्रय प्रति अदद ₹ 20,00,000 (बीस लाख रू0) मात्र अनुमानित लागत की दर से कुल स्वीकृत राशि ₹ 5,00,00,000 (पाँच करोड़ रू0) मात्र को नवीकृत करते हुए क्रय की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग सं0–22 के मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0003–केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 51 01–मोटर गाड़ी तथा विपत्र कोड N2055000010003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / ब0गै0यो0–01–47 / 2015गृ0आ0 5220 पटना, दिनांक 6/7/16

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.7.16

सरकार के प्रधान सचिव